शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या- 22/2016/बी-2-1816 /दस-2016-आर-2/2016

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव,
श्री राज्यपाल।
3. प्रमुख सचिव,
विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 20 अक्टूबर, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2016-2017 के द्वितीय त्रैमास के प्राप्ति एवं व्यय के आँकड़ों के लेखा मिलान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-टी.एम.-II/ग्रुप-IV/लेखामिलान/एफ.-18/52785, दिनांक 05 अक्टूबर,, 2016 द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आंकड़ों के त्रैमासिक लेखा मिलान की प्रक्रिया के क्रम में माह जुलाई, 2016 से सितम्बर, 2016 तक के लेखांकित प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का विभागीय आंकड़ों से मिलान के लिये दिनांक 15 नवम्बर, 2016 से 20 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि निर्धारित की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे वित्तीय वर्ष 2016-2017 के द्वितीय त्रैमास (माह जुलाई, 2016 से सितम्बर, 2016) के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा मिलान कार्य संलग्न निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित करायें तथा जिस समय लेखा मिलान दल, लेखा मिलान हेतु महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद जायें तब वे अपने साथ डी.डी.ओ. रिकन्सीलियेशन शीट एवं मासिक व्यय विवरण (बी.एम.-4) ले जाना सुनिश्चित करें ताकि लेखा मिलान में पायी जाने वाली विसंगतियों के समायोजन हेतु प्रस्ताव, सक्षम अधिकारी को उसी समय उपलब्ध करा दिये जायें।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-81 एवं 83 में अपने विभाग की योजनाओं से सम्बन्धित लेखाशीर्षों के व्यय के आंकड़ों का मिलान कार्य भी नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अपने विभाग के साथ ही सुनिश्चित कराया जायेगा। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा समयानुसार लेखा मिलान पूर्ण नहीं कराने पर उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आंकड़ें अन्तिम समझे जायेंगें।

...../2

http://srasanadesh.up.nic.in

4- लेखा मिलान हेतु यदि किसी विभाग का नाम संलग्न सूची में अंकित होने से रह गया है, तो ऐसे विभाग अपने विभाग का लेखामिलान कार्य दिनांक 20-12-2016 को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

5- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि लेखा मिलान कार्य की उक्त प्रक्रिया में कोई कठिनाई होने पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी महालेखाकार कार्यालय के सक्षम अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक - यथोपरि ।

भवदीय,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

संख्या-22/2016/बी-2-1816 (1)/दस-2016 आर-2/2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पत्र संख्या टी.एम.-II/ग्रुप-IV/लेखामिलान/एफ.- 18/52785, दिनांक 05 अक्टूबर, 2016 के संदर्भ में ।
2. उपमहालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार, (लेखा व हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- / 2016/बी-2-1816/दस-2016-आर-2/2016, दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2016-2017 से सम्बन्धित माह जुलाई, 2016 से सितम्बर, 2016 तक के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ों से तिथिवार मिलान हेतु कार्यक्रम।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
1.	आबकारी	15.11.2016
2.	आवास	
3.	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन/खानें और खनिज/ खादी एवं ग्रामोद्योग/हथकरघा उद्योग/भारी एवं मध्यम उद्योग/मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	
4.	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग	16.11.2016
5.	ऊर्जा	
6.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	
7.	रेशम विभाग	
8.	कृषि विभाग	17.11.2016
9.	परती भूमि विकास	
10.	समन्वय विभाग	
11.	कृषि विपणन विभाग	18.11.2016
12.	भूमि विकास एवं जल संसाधन	
13.	ग्राम्य विकास विभाग	
14.	भूगर्भ जल विभाग	
15.	लघु सिंचाई	21.11.2016
16.	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	
17.	पंचायती राज विभाग	
18.	पशुधन	
19.	दुग्ध विकास	22.11.2016
20.	मत्स्य	
21.	सहकारिता	
22.	कार्मिक एवं नियुक्ति	23.11.2016
23.	खाद्य एवं रसद	
24.	खेल एवं युवा कल्याण	
25.	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	
26.	गृह (कारागार)	24.11.2016
27.	गृह (पुलिस)	
28.	नागरिक सुरक्षा	
29.	राजनीतिक पेंशन	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
30.	गृह (गोपन)	25.11.2016
31.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	
32.	परिवार कल्याण विभाग	
33.	चिकित्सा शिक्षा (एलोपैथी)	28.11.2016
34.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी	
35.	होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग	
36.	खाद्य एवं औषधि प्रशासन	29.11.2016
37.	नगर विकास	
38.	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग	
39.	नागरिक उड्डयन	30.11.2016
40.	भाषा	
41.	नियोजन	
42.	निर्वाचन	
43.	न्याय	01.12.2016
44.	परिवहन	
45.	पर्यटन	
46.	पर्यावरण	
47.	प्रशासनिक सुधार	02.12.2016
48.	प्राविधिक शिक्षा	
49.	अल्प संख्यक कल्याण	
50.	महिला एवं बाल विकास	05.12.2016
51.	राजस्व	
52.	सहायता एवं पुर्नवास	
53.	राष्ट्रीय एकीकरण	
54.	लोक निर्माण	06.12.2016
55.	राज्य सम्पत्ति विभाग	
56.	वन	
57.	वित्त विभाग	07.12.2016
58.	विधान परिषद सचिवालय	
59.	विधान सभा सचिवालय	
60.	विधायी एवं संसदीय कार्य	
61.	अपारम्परिक ऊर्जा (नेडा)	08.12.2016
62.	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग	
63.	बेसिक शिक्षा	
64.	माध्यमिक शिक्षा	09.12.2016
65.	उच्च शिक्षा	
66.	श्रम	
67.	सचिवालय प्रशासन	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
68.	कार्यक्रम कार्यान्वयन	12.12.2016
69.	विकलांग कल्याण	
70.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	
71.	समाज कल्याण	14.12.2016
72.	जनजाति कल्याण	
73.	सतर्कता विभाग	
74.	सामान्य प्रशासन	15.12.2016
75.	मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल)	
76.	सार्वजनिक उद्यम	
77.	सूचना	
78.	सैनिक कल्याण	16.12.2016
79.	संस्थागत वित्त	
80.	स्टाम्प एवं पंजीयन	
81.	मनोरंजन कर	19.12.2016
82.	व्यापार कर	
83.	सांस्कृतिक कार्य	
84.	सिंचाई	
	उक्त सूची के अतिरिक्त यदि कोई विभाग शेष हो	20.12.2016

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।